बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

मंगलवार, तिथि २४ मार्च, १९६४।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि २४ मार्च, १९६४ को पूर्वाह्न ९ बजे उपाध्यक्ष, श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short notice Questions and Answers.

EXEMPTION FROM INTEREST.

40. Shri SHAKOOR AHMAD and Shri MAHABIR RAUT : Will the Revenue Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that Kisans who took loans during the last several years due to scarcity conditions, are perturbed by the decision of Government not to exempt them from paying interest on loans ;

(2) whether it is a fact that petty loanees who have limited means of income will be put to great hardships due to this decision ;

(3) if the answers to the above clauses be in the affirmative, do Government consider the desirability of re-thinking over the whole issue ; if not, why ?

*श्री बीरचन्द पटेल—(१) उत्तर नकारात्मक है।

---

(२) ऐसा नहीं प्रतीत होता है।

(३) सरकार ने इस संबंध में विचार किया है और यह आदेश जारी किया है कि बकाये मूलधन के बराबर रुपया चुका देने पर बकाया सूद के लिये कोई सर्टिफिकेट की कार्रवाई नहीं की जायेगी। जितनी रकम चुकायी जायेगी, उससे मूलधन भुगतान हो जायेगा पर, यह छूट उन्हीं लोगों को दी जायेगी जो पूरा बाकी मूलधन चुकायेंगे।

*श्री शकूर अहमद—अभी सरकार ने कहा है कि इस विषय में उनको मालूम नहीं है।

लेकिन अगर उनको छूट नहीं मिलेगी इसलिये लोग परटर्ब्ड हैं या नहीं यह कैसे सरकार को मालूम हुआ ?

मालगुजारी की माफी।

१६६३। श्री मुनीशवर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

क्या मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत महनार थाने के निम्नलिखित गांव गंगा नदी के कटाव में हैं:—

नाम गांव।			क्षेत्रफल पानी एवं बालू में।		क्षेत्रफल आबादी।
			बीघा।		बीघा।
बरूआ ..	..	..	७५०	..	१०
हवराहा ..	..	..	६००	..	१०
महमदपुर	..	...	३५०	..	
सारी बलवा	..	..	६०	..	६०
पतलापुर	..	..	४२५	..	
पलवैया ..	..	..	१,६००	..	१,६००
बहलोलपुर	..	..	५००	..	

यदि हां तो उक्त गांवों के किसान को उक्त जमीन की मालगुजारी सरकार माफ करने जा रही है; यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरचन्द पटेल—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है। जो जमीन पानी-बालू में है और जिन पर आबादी है, उनके आकड़े निम्नलिखित हैं:—

क्रम सं०।	गांव का नाम।					क्षेत्रफल जो पानी-बालू में है।	क्षेत्रफल जो आबाद है।
१	बरूआ ..	..	४०२	५	११	३२१	१.८
२	हवराहा	..	३१६	१९	१७	४०३	१.७
३	महामदपुर	..	१४९	११	६	१५६	१४.१८
४	सारीबलवा	..	३६	६	८	८९	१८.८
५	पतलापुर	..	७५	१२	९	३५२	११.१३
६	पलवैया ..	..	४८९	१४	४	१४७९	०.१३
७	बहलोलपुर	..	४३२	७	२	२८६	१७.८

नदी के कटाव में जो जमीन कट जाती है, या जिस जमीन पर बालू भर जाता है, उस जमीन की मालगुजारी सरकार की ओर से माफ की जाती है। किन्तु बालू-पानी वाले क्षेत्र के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी जमीन है जिसमें खड्ढ़ (जंगल) उत्पन्न होता है जो मवेशियों के खाने के काम में आता है। इस घास को दस रुपये प्रति कट्ठा की दर से बेचने से किसानों को आमदनी होती है। अतः ऐसी जमीन को आबाद समझकर इनकी मालगुजारी माफ नहीं की जाती है।

जो जमीन पानी-बालू में है और जिसमें कुछ भी उपज नहीं होती है, उसका लगान माफ कर दिया जायगा।

श्री राज नारायण सिंह की बहाली।

१९९५। श्री सीताराम महतो—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री राम कृपाल सिंह, सदर नाजिर, सदर सबडिवीजन, जिला मुजफ्फरपुर के स्थान पर श्री राज नारायण सिंह की बदली का आदेश सन् १९६२ में हुआ था;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री राज नारायण सिंह ने श्री राम कृपाल सिंह से चार्ज ता० १४ मई १९६२ को रात्रि तक लिया था;

(३) क्या यह बात सही है कि १४ मई १९६२ को रात्रि में कैश बुक तथा भाउचर जो पांच वर्ष के थे, कार्यालय से गायब कर दिये गये थे;

(४) क्या यह बात सही है कि ऑडिटर द्वारा जांच करके एक प्रतिवेदन महालेखापाल, रांची के पास भेजा गया था;

(५) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऑडिटर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर क्या कारंवाई करना चाहती है और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बीरचन्द पटेल—(१) श्री राज नारायण सिंह नहीं बल्कि श्री राजनारायण कुंवर का स्थानान्तरण सदर निर्वाचन कार्यालय से श्री राम कृपाल सिंह' सदर नाजिर के स्थान पर अप्रील १९६२ में हुआ था।

(२) श्री राज नारायण कुंवर ने १४ मई १९६२ तक सभी कागजातों का चार्ज ले लिया था।

(३) १४ मई, १९६२ की रात्रि में कैश बुक तथा भाउचर गायब कर दिये गये थे। इस संबंध में मुजफ्फरपुर टाउन केस नं० ३२(५)/६२ धारा ३८० भा०दं०वि० के अधीन किया गया था। अनुसंधान अभी भी लम्बित है।

(४) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(५) ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान नाजिर श्री राजनारायण कुंवर का स्थानान्तरण नाजिर के पद से दूसरे कार्यालय में कर दिया गया है। श्री राम कृपाल सिंह १७ मई १९६२ से ही निलम्बित कर दिये गये।